न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 01/2022

1 पितराम पुत्र गिरधारी।
2 महेन्द्र पुत्र अर्जुन।
3 शीशराम पुत्र अर्जुन समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बोराण तन चारावास व निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती धर्मा देवी पुत्री गोदाराम पत्नी विधाधर।
5 श्रीमती बिमला देवी पुत्री गोदाराम पत्नी सुरेश कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण श्री सरदारपुरा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
6 गोदाराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी ढ़ाणी बोराण तन चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चन्दगी पुत्र श्योनारायण।
2 डूंगरसिंह पुत्र हंसराज।
3 दीपचन्द पुत्र गुलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बोराण तन चारावास व निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 बीरबल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
5 लक्ष्मण पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बोराण तन चारावास व निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6 सतपाल पुत्र हंसराज उर्फ हंसराम जाति जाट निवासी चारवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
7 सुरेश कुमार पुत्र गुलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

8 हेमकरण पुत्र हंसराज उर्फ हंसराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बोराण तन चारावास व निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

9 श्रीमती उषा पुत्री सुभाष पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी हेमराज का बास तन घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

10 श्रीमती बिमला पुत्री हंसराज उर्फ हंसराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी महरमपुर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

11 श्रीमती भगवानी उर्फ श्रीमती कुनणी पुत्री हंसराज उर्फ हंसराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील व जिला झुंझुनू।

12 श्रीमती किताब देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

13 श्रीमती भगवानी पुत्री हंसराज उर्फ हंसराम पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी निजामपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

14 श्रीमती सुधा पुत्री सुभाष पत्नी राजेश जाति जाट निवासी चारणवास तहसील व जिला झुंझुनू।

15 श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री सुभाष पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी हेमराज का बास तन घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

16 श्रीमती केशी पत्नी हरीराम।

17 छीनाराम पुत्र हरीराम।

18 जगदीश पुत्र हरीराम।

19 दयाराम पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बोराण तन चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

20 दलीप पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

21 श्रीमती बिमला पुत्री गिरधारी पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी खड़ोत तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

22 मेहरचन्द पुत्र हरीराम।

23 महासिंह पुत्र ओमप्रकाश।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

24 विकम पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बोराण तन चारावास तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

25 वीरसिंह पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासी चारावास तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

26 श्रीमती श्योबाई पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी ढ़ाणी बोराण तन चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

27 श्रीमती सुमित्रा पुत्री गिरधारी पत्नी डालुराम जाति जाट निवासी दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

28 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

29 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

30 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

31 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी दिनांक 29.10.2021 बमुकदमा उनवानी चन्दगी आदि बनाम केशी आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 186/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:– 7-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 186/2020 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस नं. 1 से 15 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नं.16 स 31 को अनावेदकगण होना दर्ज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी में आवेदन पत्र अ.धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर जमीन ख.न. 61, ख.नं.67, ख.नं. 814/67 की पश्चिमी दिशा से 12 फुट चौड़ा रास्ता ख.नं. 70 वाके ग्राम चरणसिंह नगर तक कायम करने का निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा धारा 251 ए में 12 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का कथन नहीं किया गया है। मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट से पूर्व पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता निकटतम/लघुतम नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन [illegible] अधिकारी
[illegible]

लोक अदालत कैम्प नगलीसलेदी सिंह में पत्रावली रखकर पारित किया गया है। निर्णय से पूर्व अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रस्तावित रास्ते से सभी खातेदारान को रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2022(4) आरएलडब्ल्यू (एचसी) पेज 2764, 2022 आरबीजे पेज 50, 2018–19 आरआरटी (सप्ली) पेज 186, 2019 आर आर टी पेज 403, 2018–19 आर आर टी (सप्ली) पेज 342, 2019 (2) आरआरटी (एचसी) पेज 1507 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में 13 अप्रार्थीगण खातेदारान में से केवल 1 खातेदार अपीलांट पितराम ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी है। शेष ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 10 रेस्पोडेन्ट संख्या 24 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। विचाराधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट आईएलआर द्वारा तैयार की गई है। धारा 251 ए के प्रावधानों में आईएलआर मौका रिपोर्ट हेतु सक्षम है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2021 को आपत्ति को खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा इस आदेश को निगरानी में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट अंतिम हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर कैम्प कोर्ट में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत की भावना से विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेन [illegible] अधिकारी
[illegible]

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट आईएलआर द्वारा तैयार की गई है। धारा 251 ए के प्रावधानों में आईएलआर मौका रिपोर्ट हेतु सक्षम है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2021 को आपत्ति को खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा इस आदेश को निगरानी में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट अंतिम हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर कैम्प कोर्ट में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत की भावना से विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में 13 अप्रार्थीगण खातेदारान में से केवल 1 खातेदार अपीलांट पितराम ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी है। शेष ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 10 रेस्पोडेन्ट संख्या 24 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। वैकल्पिक रास्ते की पुष्टि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7-2-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भारत सिंह मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर